**प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 151/2026)**

तत्काल प्रकाशनार्थ

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

**भादूविप्रा ने 'सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार और सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी रूपरेखा' पर अनुशंसाएँ जारी कीं।**

नई दिल्ली, 05 नवंबर 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार और सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी रूपरेखा'** पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की हैं।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 03.07.2025 को भादूविप्रा को सूचित किया था कि "सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत सैटेलाइट संचार नेटवर्क (एससीएन) प्राधिकार शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है" और भादूविप्रा से अनुरोध किया था कि वह "ऐसे प्राधिकार के अंतर्गत फीडर लिंक और यूज़र लिंक, दोनों के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के प्रावधान सहित सैटेलाइट संचार नेटवर्क (एससीएन) प्राधिकार के लिए नियम और शर्तें प्रदान करे" ।

3. इस संबंध में, भादूविप्रा ने 08.04.2026 को 'सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्राधिकार और सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी रूपरेखा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसके प्रत्युत्तर में, 31 हितधारकों से टिप्पणियां और 12 हितधारकों से प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जिन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। परामर्श पत्र पर 02.07.2026 को वर्चुअल माध्यम से एक खुली चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

4. परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों तथा आगे के विश्लेषण पर विचार करने के पश्चात्, भादूविप्रा ने 'सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार और सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी रूपरेखा' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया है।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

**5. भादूविप्रा की अनुशंसाओं के मुख्य बिंदु:**

**क. सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार**

5.1. दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत एक नया प्राधिकार, अर्थात् "सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रदाता प्राधिकार", शुरू किया जाना चाहिए।

5.2. सैटेलाइट संचार नेटवर्क (एससीएन) प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयाँ पात्र सेवा प्रदाताओं को सैटेलाइट संचार नेटवर्क एज़ अ सर्विस (एससीएनएएएस) प्रदान कर सकती हैं।

5.3. सैटेलाइट संचार नेटवर्क (एससीएन) प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयाँ उपयोगकर्ताओं को सीधे दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती हैं।

5.4. एससीएन प्रदाता प्राधिकार राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए होना चाहिए, जिसकी अधिकतम अवधि 20 वर्ष हो तथा 20 वर्ष तक नवीनीकरण का प्रावधान हो।

5.5. स्थिर सैटेलाइट सेवा (एफएसएस), मोबाइल सैटेलाइट सेवा (एमएसएस), एमएसएस का उपयोग करते हुए सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट-टू-डिवाइस (डी2डी) सेवाएं, तथा आईएमटी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए सैटेलाइट के माध्यम से डी2डी सेवाओं को, एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों के सैटेलाइट संचार नेटवर्कों के माध्यम से अनुमति दी जानी चाहिए।

5.6. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयाँ, पात्र सेवा प्रदाताओं को सैटेलाइट संचार नेटवर्क एज़ अ सर्विस (एससीएनएएएस) प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार से उपयुक्त सैटेलाइट स्पेक्ट्रम (एफएसएस और एमएसएस) प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती हैं और/या भागीदार सेवा प्रदाताओं को आवंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकती हैं।

5.7. कोई भी लाइसेंसधारी या प्राधिकृत इकाई, जिसे सैटेलाइट आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने या सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है, एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई से एससीएनएएएस प्राप्त करने के लिए पात्र होनी चाहिए।

5.8. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों के अतिरिक्त, निम्नलिखित में से कोई भी लाइसेंस/प्राधिकार रखने वाली किसी भी इकाई को ऐसी किसी भी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक को एससीएनएएएस प्रदान करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए, जिसे सैटेलाइट



सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने या सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्राप्त है:

(क) दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अंतर्गत एकीकृत सेवा प्राधिकार, अभिगम सेवा प्राधिकार, इंटरनेट सेवा प्राधिकार और लंबी दूरी की सेवा का प्राधिकार;

(ख) एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत अभिगम सेवा प्राधिकार, इंटरनेट सेवा प्राधिकार, एनएलडी सेवा प्राधिकार, वाणिज्यिक वीएसएटी सीयूजी सेवा प्राधिकार और जीएमपीसीएस सेवा प्राधिकार; और

(ग) 'सुई जेनेरिस' श्रेणी के अंतर्गत भारत में स्थापित गेटवे का उपयोग करके सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान और संचालन के लिए लाइसेंस:

परंतु यह कि ऐसी इकाई एससीएन प्रदाता प्राधिकार प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हो और एससीएन प्रदाता प्राधिकार पर लागू तकनीकी एवं परिचालन संबंधी शर्तों, सेवा विस्तार संबंधी दायित्वों तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन करने का वचन देती हो।

**ख. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों को स्पेक्ट्रम का आवंटन**

5.9. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों को सरकार से (क) फीडर लिंक के लिए एफएसएस स्पेक्ट्रम और (ख) यूज़र लिंक के लिए एफएसएस स्पेक्ट्रम और/या एमएसएस स्पेक्ट्रम के आवंटन का अनुरोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5.10. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को फीडर लिंक में उपयोग के लिए प्रशासनिक आधार पर एफएसएस स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए। यूज़र लिंक में उपयोग के लिए एफएसएस/एमएसएस स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन प्राप्त करने हेतु, एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि स्पेक्ट्रम का उपयोग करके उसके भागीदार सेवा प्रदाता/प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सेवा दूरसंचार अधिनियम, 2023 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आती है।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

5.11. राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एनएफएपी) 2025 में निर्धारित आवंटनों के अनुरूप होने की शर्त के अधीन, एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों को निम्नलिखित आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना चाहिए:

| सेवा का प्रकार | सैटेलाइट का प्रकार | यूज़र लिंक के लिए आवृत्ति बैंड | फीडर लिंक के लिए आवृत्ति बैंड |
|---|---|---|---|
| एफएसएस | जीएसओ | सी-बैंड, केयू-बैंड, केए-बैंड और क्यू/वी-बैंड | |
| | एनजीएसओ | केयू-बैंड, केए-बैंड और क्यू/वी-बैंड | |
| एमएसएस | जीएसओ | एल-बैंड और एस-बैंड | सी-बैंड, केयू-बैंड, केए-बैंड और क्यू/वी-बैंड |
| | एनजीएसओ | | |

5.12. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों को एफएसएस स्पेक्ट्रम और एमएसएस स्पेक्ट्रम अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। तथापि, बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस अवधि को अधिकतम 2 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है।

5.13. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों को एफएसएस स्पेक्ट्रम और एमएसएस स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए मूल्य निर्धारण सहित नियम और शर्तें, केंद्र सरकार द्वारा नीतिगत व्यवस्था की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहनी चाहिए। इस अवधि को अधिकतम 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

5.14. केंद्र सरकार द्वारा नीतिगत व्यवस्था की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों को एफएसएस स्पेक्ट्रम और एमएसएस स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए मूल्य निर्धारण सहित नियमों और शर्तों में किए गए किसी भी संशोधन को मौजूदा एससीएन प्रदाता प्राधिकृत इकाइयों सहित सभी एससीएन प्रदाता प्राधिकृत इकाइयों पर लागू किया जाना चाहिए।

5.15. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को किसी भी पात्र सेवा प्रदाता प्राधिकृत इकाई ("भागीदार इकाई") के साथ निम्नलिखित के उपयोग के लिए समझौता करने की अनुमति दी जानी चाहिए--

(i) फीडर लिंक में उपयोग के लिए भागीदार इकाई के पास उपलब्ध एफएसएस स्पेक्ट्रम; और



सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ii) यूज़र लिंक में उपयोग के लिए उसकी भागीदार इकाई के पास उपलब्ध एफएसएस/एमएसएस स्पेक्ट्रम--

इसका उपयोग केवल भागीदार इकाई को सैटेलाइट संचार नेटवर्क एक सेवा के रूप में (एससीएनएएएस) प्रदान करने के सीमित उद्देश्य से किया जाना चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार भागीदार इकाई के पास ही बना रहना चाहिए।

**ग. एमएसएस आधारित डी2डी सेवा**

5.16. भारत में एमएसएस आधारित डी2डी सेवाओं [अर्थात् मोबाइल सैटेलाइट सेवा (एमएसएस) के लिए आवंटित एल-बैंड और एस-बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग करके सैटेलाइट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली डायरेक्ट-टू-डिवाइस (डी2डी) सेवाओं] की अनुमति दी जानी चाहिए।

5.17. अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाइयों को एमएसएस आधारित डी2डी सेवाएं प्रदान करने हेतु एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों से एससीएनएएएस प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5.18. इन अनुशंसाओं को स्वीकार किए जाने के पश्चात्, केंद्र सरकार को स्मार्टफोन हैंडसेट निर्माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे भविष्य में भारत में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन हैंडसेटों में संबंधित एमएसएस बैंडों का समर्थन करने के लिए आवश्यक मॉड्यूल शामिल करें।

**घ. आईएमटी आधारित डी2डी सेवा**

5.19. विश्व रेडियो संचार सम्मेलन-2027 (डब्ल्यूआरसी-27) के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के रेडियो विनियमों के अनुच्छेद 4.4 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-व्यतिकरण और गैर-संरक्षण के आधार पर देश में आईएमटी आधारित डी2डी सेवा [अर्थात् आईएमटी स्पेक्ट्रम का उपयोग करके सैटेलाइट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली डायरेक्ट-टू-डिवाइस (डी2डी) सेवाओं] की अनुमति दी जानी चाहिए।

5.20. विश्व रेडियो संचार सम्मेलन-2027 (डब्ल्यूआरसी-2027) के समापन के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आईएमटी आधारित डी2डी सेवा के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय, यदि कोई हो, उस समय आईएमटी आधारित डी2डी सेवा पर लागू किया जाना चाहिए।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

5.21. अभिगम सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत और आईएमटी स्पेक्ट्रम रखने वाली किसी भी इकाई को किसी भी एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई से एससीएनएएएस प्राप्त करके आईएमटी आधारित डी2डी सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार, किसी भी एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को ऐसी किसी भी इकाई को एससीएनएएएस प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो अभिगम सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हो और जिसके पास आईएमटी स्पेक्ट्रम हो:

परंतु यह कि आईएमटी आधारित डी2डी सेवा प्रदान करने की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए, जब अभिगम सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत एक या अधिक इकाइयाँ, जिनके पास संयुक्त रूप से देश के सभी 22 लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में संबंधित आईएमटी आवृत्ति चैनल का आवंटन हो, केवल ऐसी इकाई या इकाइयों को एससीएनएएएस प्रदान करने के उद्देश्य से एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को अपने आईएमटी आवृत्ति चैनल का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सहमत हों।

5.22. आवृत्ति विभाजन डुप्लेक्सिंग (एफडीडी) व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले आईएमटी आवृत्ति बैंडों, अर्थात् 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz और 2100 MHz बैंड के उपयोग की अनुमति आईएमटी आधारित डी2डी सेवा प्रदान करने के लिए दी जानी चाहिए।

5.23. राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एनएफएपी) की आवृत्ति आवंटन तालिका में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि आईएमटी आधारित डी2डी सेवा के लिए चिह्नित आवृत्ति बैंडों में मोबाइल सैटेलाइट सेवा (एमएसएस) को द्वितीयक सेवा के रूप में शामिल किया जा सके। भारत के लिए विशेष रूप से एक पाद टिप्पणी जोड़ी जानी चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि इन आवृत्ति बैंडों में द्वितीयक एमएसएस परिचालन केवल आईएमटी आधारित डी2डी सेवा तक सीमित होगा और यह सेवा घरेलू तथा सीमा-पार, दोनों प्रकार के परिचालनों के संबंध में गैर-व्यतिकरण और गैर-संरक्षण के आधार पर संचालित होगी।

5.24. देश में संचालित मौजूदा सेवाओं को आईएमटी आधारित डी2डी सेवा से उत्पन्न होने वाले किसी भी हानिकारक व्यतिकरण से बचाने के लिए, सभी बीमों से प्राप्त संयुक्त सिग्नल की विद्युत क्षेत्र तीव्रता की सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

**ङ. वित्तीय शर्तें**

5.25. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों के लिए प्राधिकार शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्क और वित्तीय शर्तों की लागू दरें निर्धारित करते समय, जिसमें जीआर/एपीजीआर/एजीआर की परिभाषाएं और अन्य वित्तीय शर्तें शामिल हैं, भादूविप्रा ने सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने के पूर्णतः एकीकृत सेवा मॉडल और अलग-अलग घटकों वाले साझा नेटवर्क मॉडल के बीच विनियामक समानता बनाए रखने के सिद्धांत का पालन किया है।

**(क) जीआर/एपीजीआर/एजीआर की परिभाषाएं और एससीएनएएएस शुल्कों का निर्धारण:**

5.26. सकल राजस्व (जीआर) में अंतिम उपभोक्ताओं को सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र सेवा प्राधिकृत इकाइयों को सैटेलाइट संचार नेटवर्क एक सेवा के रूप में (एससीएनएएएस) उपलब्ध कराने से एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व तथा नेटवर्क से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त कोई भी अन्य राजस्व शामिल होगा। इसमें संबंधित व्यय मदों के लिए किसी प्रकार का समायोजन या कटौती नहीं की जाएगी।

5.27. पात्र सेवा प्राधिकृत इकाई (पात्र वीएनओ सहित) द्वारा एससीएनएएएस उपलब्ध कराने के लिए किए गए वाणिज्यिक सेवा समझौते के अंतर्गत एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को भुगतान किए गए एससीएनएएएस शुल्क, जिन्हें एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई द्वारा राजस्व के रूप में दर्शाया जाता है, को उचित दस्तावेजीकरण और सत्यापन के अधीन, सेवा प्राधिकृत इकाई के लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) से कटौती के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5.28. लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) के निर्धारण के लिए, दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अंतर्गत उपबंधों के अनुरूप, सकल राजस्व से गैर-दूरसंचार राजस्व को बाहर रखा जाना चाहिए।

5.29. समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के निर्धारण के लिए, किसी अन्य एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को सैटेलाइट भू-स्टेशन गेटवे के उपयोग के लिए भुगतान किए गए शुल्कों को, सरकार को भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (यदि लागू हो) के साथ, कटौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।



सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

**(ख) प्राधिकार शुल्क:**

5.30. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाइयों के लिए प्राधिकार शुल्क समायोजित सकल राजस्व का 8% होना चाहिए। इसके लिए कोई न्यूनतम प्राधिकार शुल्क नहीं होना चाहिए।

**(ग) स्पेक्ट्रम शुल्क:**

5.31. एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर आधारित होना चाहिए। एनजीएसओ आधारित एफएसएस के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शुल्क में अंतर होना चाहिए (जिसमें शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति ग्राहक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है)। इसकी शुल्क दर और शुल्क निर्धारण की रूपरेखा वही होनी चाहिए, जो 09.05.2025 की अनुशंसाओं के आधार पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा निर्धारित सैटेलाइट आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं पर लागू होती है।

5.32. यदि केंद्र सरकार द्वारा किसी एससीएन प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को एफएसएस/एमएसएस स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है, तो उस इकाई को आवंटित स्पेक्ट्रम पर न्यूनतम वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क ₹3,500 प्रति MHz लागू होना चाहिए।

5.33. यदि एमएसएस स्पेक्ट्रम (एल/एस-बैंड) का उपयोग डी2डी सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम शुल्क निर्धारण की रूपरेखा वही होनी चाहिए, जो विशेष उपकरणों पर पारंपरिक एमएसएस सेवाएं प्रदान करने के लिए इस स्पेक्ट्रम के उपयोग पर लागू होती है।

5.34. यदि सेवा प्रदाता के रूप में प्राधिकृत इकाई को आवंटित आईएमटी स्पेक्ट्रम का उपयोग डी2डी सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो सैटेलाइट आधारित डी2डी सेवाएं प्रदान करने हेतु यूज़र लिंक में भागीदार अभिगम सेवा प्रदाता को आवंटित आईएमटी स्पेक्ट्रम के उपयोग पर उससे कोई अतिरिक्त स्पेक्ट्रम शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। आवंटित आईएमटी स्पेक्ट्रम पर लागू मौजूदा स्पेक्ट्रम शुल्क निर्धारण की रूपरेखा पूर्ववत लागू रहनी चाहिए।

5.35. मौजूदा एकीकृत लाइसेंस या नए दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं द्वारा सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क केवल उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के उस हिस्से



सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

पर लगाया जाना चाहिए, जो एफएसएस और एमएसएस (सामान्य एवं विशेष प्रकार के फोन पर प्रदान की जाने वाली एमएसएस सेवाओं सहित) से प्राप्त होता है।

5.36. पात्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली एससीएनएएएस के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क केवल उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के उस हिस्से पर लगाया जाना चाहिए, जो एससीएनएएएस प्रदान करने से प्राप्त होता है।

**(घ) अन्य वित्तीय शर्तें:**

5.37. एससीएन प्रदाता प्राधिकार के लिए लागू अन्य वित्तीय शर्तों की अनुशंसा निम्नानुसार की गई है:

| **एससीएन प्रदाता प्राधिकार के लिए अन्य वित्तीय शर्तें** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **एससीएन प्रदाता प्राधिकार** | **प्रवेश शुल्क (रुपये में)** | **प्रारंभिक गारंटी (रुपये में)** | **न्यूनतम इक्विटी (रुपये में)** | **न्यूनतम निवल मूल्य (रुपये में)** | **आवेदन प्रसंस्करण शुल्क (रुपये में)** |
| | **37,50,000** | **45,00,000** | **60,00,000** | **60,00,000** | **10,000** |

6. भादूविप्रा की इन अनुशंसाओं का उद्देश्य भारत में एक सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी सैटेलाइट संचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है। एससीएन प्रदाता प्राधिकार के लिए अनुशंसित रूपरेखा से एससीएनएएएस के माध्यम से सैटेलाइट नेटवर्क अवसंरचना और स्पेक्ट्रम का कुशल उपयोग संभव होगा तथा एमएसएस और आईएमटी स्पेक्ट्रम का उपयोग करके डी2डी कनेक्टिविटी सहित नवीन सैटेलाइट आधारित सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे सेवा प्रदाताओं को सैटेलाइट नेटवर्क संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में अधिक लचीलापन मिलेगा और देशभर में सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के विस्तार में सहायता मिलेगी।



सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. ये अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कराई गई हैं। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

5/11/2014

**(पुष्पेंद्र कुमार सिंह)**

**सचिव (<u>प्रभारी</u>), भादूविप्रा**

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi